निर्णय बइजलास लोक अदालत कोर्ट कैम्प द्वारा श्री गोविन्दसिंह (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कैम्प– ईशरमण्ड

क्रसं० 79 / 15 रे.वाद

निर्णय दिनांक :– 24.06.2016

अनवान:

1. श्री नारायण पिता भूरा जी नट निवासी ईशरमण्ड हाल पारडी तहसील देवगढ
2. श्री भैरू लाल पिता गोपा जी नट निवासी ईशरमण्ड हाल पारडी तहसील देवगढ
3. श्री जगदीश पिता गोपा जी नट निवासी ईशरमण्ड हाल पारडी तहसील देवगढ

——वादीगण

बनाम

1. श्री नारू पिता रूपा जाति नट निवासी जोगीडा ईशरमण्ड तहसील देवगढ
2. शान्ता देवी पिता रूपा नट निवासी जोगीडा ईशरमण्ड तहसील देवगढ
3. होनी पत्नि रूपा नट निवासी जोगीडा ईशरमण्ड तहसील देवगढ
4. वाली पिता बंशी लाल नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
5. सुवा लाल पिता बंशी लाल निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
6. डाली पत्नि बंशी लाल नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
7. सुखी पिता मांगू नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
8. लक्ष्मी पिता मांगू नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
9. चन्दी पिता मांगू नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
10. शंकर पिता रंगू नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
11. पुष्पा पिता रंगू नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
12. गहरी बाई पत्नि रंगू नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
13. श्रवण पिता गोपी नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
14. गणेश पिता गोपी नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
15. कैलाशी पिता गोपी नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
16. जमना पिता गोपी नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ
17. सन्तोष पिता भूरा नट निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ

——प्रतिवादीगण

वाद खातेदारी की घोषणा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

पत्रावली आज दिनांक 24.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कैम्प ईशरमण्ड में पेश की। पक्षकारान को जारी सूचना पत्र शामिल है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 01, 06, उपस्थित अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है।

ग्राम कालागुन पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ के खाता सं0 321 ख0नं0 134 रकबा 0.15, ख0नं0 143 रकबा 0.10, ख0नं0 145 रकबा 0.08, ख0नं0 146 रकबा 0.10, ख0नं0 147 रकबा 1.13, ख0नं0 194 रकबा 0.08, ख0नं0 239 रकबा 2.00, ख0नं0 240 रकबा 0.07, ख0नं0 667/2 रकबा 0.13, ख0नं0 1058 रकबा 0.04, ख0नं0 1089/1 रकबा 1.11 बीघा कुल किता 11 रकबा 8.19 बीघा भूमि है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं0 01 से 12 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात सम्वत् 2024 से 2027 की जमाबन्दी में खातेदार मृतक रामा जी के नाम दर्ज थी। रामा जी के फोत हो जाने के बाद नामान्तकरण सं0 416 दिनांक 28.03.1972 के उक्त भूमि विरासत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा रामा जी के पुत्र रूपा, मांगू व रंगू के नाम खोला गया। जिसका अंकन जमाबन्दी 2028 से 2031 मे है। जो गलत खोला गया है। पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तकरण खोला गया उसमें वादी सं0 01 के पिता भूरा जो रामा जी की जाईन्दा सन्तान है का नाम नही दर्शाया गया है। और रामा जी के तीनो अन्य पुत्रों के नाम नामान्तकरण खोल दिया गया। जबकि पटवारी हल्का को रामा जी के सभी वारीसान के नामा नामान्तकरण खोलना चाहिये था विरासत से उक्त वर्णित आराजियात में भूरा जी का बराबर हक व अधिकार है। रामा जी की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का ने मन माफिक तरिके से रामा जी के तीनो पुत्रो के नाम नामान्तकरण खोल दिया। पटवारी हल्का ने इस सम्बन्ध में भारी विधिक भूल करते हुये यह नामान्तकरण खोला गया। जबकि रामा जी 4 जाईन्दा सन्ताने है। पटवारी हल्का ने तीन पुत्रो के नाम ही नामान्तकरण खोला है जो न्यायोचित नही है। नामान्तकरण एक सरसरी राजस्व कार्यवाही है एवं नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसेडिंग है। जिससे किसी पक्षकार के हक व अधिकार तय नही होते है जो नामान्तकरण रामा जी मृत्यु के पश्चात विरासत से खोला

कलेक्टर
राजसमन्द

। उनके सभी वारीसान के नाम नही खोले जाने से प्रारम्भतः शुन्य है। रामा जी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि में उसके चारो पुत्रो भूरा रूपा मागूं व रंगू का समान रूप से 1/4 हक होता है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 13 से 17 को 1/4 हिस्से की खातेदार कास्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है तथा भूरा जी के हिस्से की सीमा तक प्रतिवादीगण के नाम का हो रखा अंकन विलोपित किया जाना आवश्यक है। रामा जी के पुत्र की हैसियत से ग्राम सुरतपुरा की ख0नं0 43 में भूरा का नाम बतोर खातेदार दर्ज है एवं ग्राम मालक मालिया के ख0नं0 7, 8, 9 व 10/2 में भूरा पिता रामा के बजाय उसके वारीसान का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जबकि ग्राम कालागुन में पटवारी हल्का द्वारा खोले गये नामान्तकरण की त्रुटी से भूरा जी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही पाया जबकि भूरा जी के वारीसान भूरा जी के 1/4 हिस्से पर काबिज है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 से 12 को राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज को सही कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण टालम टोल करते रहे जिससे यह वाद पत्र पेश किया गया है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात में भूरा पिता रामा के वारीसान वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 13 से 17 को 1/4 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावें तथा राजस्व अभिलेख में अंकित करवाया जावे एवं भूरा जी के हिस्से की सीमा तक प्रतिवादीगण के नाम का अंकन है उसे विलोपित करवाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी सं0 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16 को सम्मन तामिल हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा प्रकरण न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कैम्प ईशरमण्ड में नियत कर पक्षकारान को पुन सूचना पत्र जारी किये गये। नियत दिनांक को वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1, 6 उपस्थित हुये। प्रतिवादी सं0 01 व 06 ने लिखित में कोई जवाब पेश नही किया अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 07.01.2016 को प्रतिवादी सं0 10, 12 न्यायालय में उपस्थित हुये उन्होने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एव हम प्रतिवादीगण के बीच

आपसी राजीनामा हो गया है। इसलिये हम प्रकरण में कोई कार्यवाही नही चाहते है। हमनें वादी के वाद जवाब प्रतिवादी सं0 10 एवं 12 तथा पत्रावली में सलंग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा उन पर मनन किया। उक्त वर्णित भूमियों में भूरा पिता रामा जी के वारीसान वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 13 से 17 1/4 हिस्से के खातेदार कास्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कालागुन पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ के खाता सं0 321 ख0नं0 134 रकबा 0.15, ख0नं0 143 रकबा 0.10, ख0नं0 145 रकबा 0.08, ख0नं0 146 रकबा 0.10, ख0नं0 147 रकबा 1.13, ख0नं0 194 रकबा 0.08, ख0नं0 239 रकबा 2.00, ख0नं0 240 रकबा 0.07, ख0नं0 667/2 रकबा 0.13, ख0नं0 1058 रकबा 0.04, ख0नं0 1089/1 रकबा 1.11 बीघा कुल किता 11 रकबा 8.19 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 13 से 17 को 1/4 हिस्से के खातेदार कास्तकार घोषित किये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को निर्णय एवं डिक्री की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2016 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प ईशरमण्ड में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़